संख्याः 10 भू0क्रय/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 10 मई, 2006

विषयः—मै0 टी0जी0लैजर एण्ड रिसोर्टस प्रा0लि0 को होटल/रिसोर्टस निर्माण हेतु जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के ग्राम तरला नांगल में कुल 0.7070 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—406/12ए—48(2005—08)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 20 अप्रैल, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 टी0जी0लैजर एण्ड रिसोर्टस प्रा0लि0 को होटल/रिसोर्टस निर्माण हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15.1.2004 की धारा—154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम तरला नांगल में कुल 0.7070 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

.........(2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले होटल/रिसोर्ट में उत्तरांचल के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- श्री पुनीत गुप्ता, निदेशक, मै0टी0जी0लैजर एण्ड रिसोर्टस प्रा0लि0 निवासी डब्लू-55 ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, नई दिल्ली ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।